

प्रेषक,

राकेश वर्मा
विशेष सचिव,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ०प्र०।

आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु०-2

लखनऊ: दिनांक: 05 दिसम्बर, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में आधार प्रमाणीकरण/अथॉन्टिकेशन, सुविधा का सृजन हेतु धनराशि रू० 23.00 लाख की स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्रीट्रॉन इण्डिया लि० के पत्र दिनांक 2 अगस्त 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में आधार प्रमाणीकरण/अथॉन्टिकेशन, सुविधा का सृजन हेतु राज्यांश के रूप में प्राविधानित धनराशि रू० 300.00 लाख (रूपये तीन करोड़ मात्र) में से रू० 23.00 लाख की (रू० तेईस लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
 - (2) उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि उक्त का भुगतान संबंधित योजना में पारित एमओयू की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
 - (3) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा धनराशि का आहरण कर उसे राज्य समन्वयक सेंटर फार ई-गवर्नेन्स को उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य समन्वयक सेंटर फार ई-गवर्नेन्स द्वारा मांग के अनुसार उक्त धनराशि को श्रीट्रॉन इण्डिया लि० को उपलब्ध करायेगा।
 - (4) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।
 - (5) उक्त धनराशि का उपयोग आधार प्रमाणीकरण/अथॉन्टिकेशन, सुविधा का सृजन योजना अन्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
 - (6) उक्त धनराशि स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त श्रीट्रॉन इण्डिया लि० द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य समन्वयक सेंटर फार ई-गवर्नेन्स, महालेखाकार, उ०प्र० उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
 - (7) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-7 उद्योग(भारी मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखा शीर्ष "2852-उद्योग-07-दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-23-आधार प्रमाणीकरण/ अथॉन्टिकेशन, सुविधा का सृजन-42अन्य व्यय" के नाम डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) विभाग के अ०शा० प० संख्या-ई-6-715/दस-2018 दिनांक 26-11-2018 में प्राप्त उनकी सहमती से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(राकेश वर्मा)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-544(1)/78-2-2018 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकर (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
- 3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
- 5- संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, श्रीट्रॉन इण्डिया लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
- 8- राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
- 9- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4 ।
- 11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2 ।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरी राम)
उप सचिव